

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 747

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

घरेलू उर्वरक विनिर्माताओं को राजसहायता

747. श्री सी.एन.अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उर्वरक विनिर्माताओं को प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है तथा घरेलू उत्पादन और आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) क्या सरकार का उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजसहायता ढांचे को संशोधित करने की कोई योजना है;
- (ग) क्या सरकार नैनो उर्वरकों, जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, यदि हां, तो ऐसी पहलों और उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) वर्तमान में कुल उर्वरक मांग का कितना प्रतिशत वैकल्पिक उर्वरकों के रूप में पूरा किया जा रहा है;
- (ड.) क्या सरकार उर्वरक विनिर्माण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है, यदि हां, तो इसके लिए क्या पहल की गई है; और
- (च) घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने में अनुसंधान और विकास की क्या भूमिका है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): संपूर्ण सब्सिडी स्कीम किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता कराने पर केन्द्रित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उर्वरक उत्पादकों/आयातकों को दी गई सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है -

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2021-22	157640.08
2022-23	254798.88
2023-24	195420.51

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पिछले 3 वर्षों में और मौजूदा वर्ष में अब तक घरेलू उत्पादन क्रमशः 435.95 मीट्रिक टन, 485.29 मीट्रिक टन, 503.35 मीट्रिक टन और 391.60 मीट्रिक टन है और आपूर्ति संतोषजनक बनी हुई है।

(ग) से (घ): भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के अंतर्गत नैनो नाइट्रोजन के लिए विनिर्देशों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। इफको (4% और 16% नाइट्रोजन), जुआरी फार्म हब लिमिटेड (8% नाइट्रोजन), कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (12% नाइट्रोजन), और रे नैनो एंड रिसर्च सेंटर (4.4% नाइट्रोजन) से नैनो यूरिया उत्पादों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

सरकार ने नैनो डीएपी को जैव प्रभावकारिता परीक्षणों और विष-विज्ञान परीक्षणों के आधार पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल), मैसर्स जुआरी फार्म हब लिमिटेड और मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) को नैनो डीएपी के उत्पादन की अनुमति दी गई है। उर्वरक विभाग देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी संयंत्र स्थापित करने के लिए उर्वरक कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है। यद्यपि उर्वरक विभाग नैनो उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, तथापि यह देश भर में नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए उर्वरक कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है।

सरकार ने गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमों/कार्यक्रम जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) स्कीम, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि शामिल हैं, के जैविक उर्वरकों अर्थात्, संयंत्रों में उत्पादित खाद को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की समग्र निधि भी शामिल है।

पिछले वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान आज की तारीख तक किण्वित जैविक खाद (एफओएम) की बिक्री क्रमशः 56058.621 मीट्रिक टन और 227991.462 मीट्रिक टन है।

सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) की स्कीमों के माध्यम से जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों स्कीमों जैविक खेती में लगे किसानों को शुरुआत से अंत तक समर्थन देने अर्थात् उत्पादन से प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन और कटाई के बाद के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना के अभिन्न अंग हैं। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर स्कीमों के अंतर्गत, किसानों को जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के फार्म

पर/फार्म-बाह्य जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ड.) से (च): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए तक अतिरिक्त बढ़ा है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है।

पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और एनबीएस स्कीम के अंतर्गत कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने की पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।
